# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

IS 15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

(भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 BUREAU OF INDIAN STANDARDS SQMS

पत्र सं0- 237/एल0ए0सी0/ एच0क्यू0- (मुजफ्फरनगर-16) दिनांक : 13-05-2025

## नोटिस

**(उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965**
**(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अधीन)**

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने मुजफ्फरनगर में बढ़ती आबादी की आवासीय समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तावित योजना योजना मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग, मुजफ्फरनगर-जौली एवं दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य स्थित है। प्रस्तावित योजना के उत्तर में ग्राम बिलासपुर, धनधेडा एवं मुजफ्फरनगर- जौली रोड, दक्षिण में पानीपत- खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पूर्व में योजना से मिली हुई सूक्ष्म नहर एवं जी0डी0 गोयेनका पब्लिक स्कूल है। प्रस्तावित योजना हेतु ग्राम शेरनगर, धन्धेड़ा, बिलासपुर की कृषक भूमि को सम्मिलित करते हुये नई मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-3 बनाई है।

**इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् हैं :-**

**उत्तर :-** ग्राम धनघेड़ा परगना व तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर कच्ची सड़क खसरा सं0-294 ग्राम- बिलासपुर परगना व तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर, सड़क, खसरा सं0-553 मि0, 90 रास्ता/ सड़क।

**दक्षिण :-** ग्राम शेरनगर परगना व तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर खसरा सं0-619 सड़क, 379 सड़क, 628 (मि0), 630 (मि0), 215, 207, 205 (मि0), रास्ता।

**पूरब :-** ग्राम शेरनगर परगना व तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर खसरा सं0- 875 रजबाहा ग्राम बिलासपुर परगना व तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर खसरा सं0- 699 रजबाहा, ग्राम धनघेडा खसरा सं0- 324 रजबाहा (पार्ट)।

**पश्चिम :-** ग्राम शेरनगर परगना व तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर खसरा सं0-78 रजबाहा, खसरा सं0- 203 नाली, खसरा सं0- 200 पटरी, खसरा सं0- 182, ग्राम बिलासपुर परगना व तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर खसरा सं0- 563 रजबाहा, खसरा सं0- 558 रजबाहा, खसरा सं0- 556, खसरा सं0- 554

यह भी घोषणा की जाती है कि परिषद की राय में उक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा। योजना के निष्पादन के फल स्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में भू-स्वामी अथवा उसके स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क/ विकास शुल्क उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

**उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-03, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09, शास्त्रीनगर, मेरठ में किसी भी कार्य दिवस में 11:00 बजे पूर्वान्ह से 3:00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते हैं।**

इस नोटिस के उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर इस योजना में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से सम्बन्धित आपत्तियां कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-03, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09, शास्त्रीनगर, मेरठ में ली जायेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम व पता मोबाईल नं0 सहित, आपत्तिकर्ता की भूमि/ भवन का पूर्ण विवरण यथा ग्राम का नाम, खसरा प्लाट संख्या क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही सही अंकित होना चाहिये। योजना क्षेत्र में स्थित निर्माण युक्त भूमि के स्वामियों/ अध्यासिनों को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1, 1966) के अनुसार बैटरमेन्ट (असुधार शुल्क)/ विकास शुल्क परिषद को देय होगा।

**(डा0 बलकार सिंह)**
**आवास आयुक्त**

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें 1800-180-5333 (टोल फ्री नंबर), 0522-2236803

UPHousingBoard www.upavp.in info@upavp.com